(31)

निग0 5650/2018/रीवा/भू-रा0

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प रीवा म.प्र.

1— बुद्धसेन

2— मोहनलाल

दोनों के पिता स्व. श्री मनफेर निवासी ग्राम बसौली तह. मनगवां जिला रीवा म.प्र.

..............निगरानीकर्तागण

बनाम्

1— सुमेश्वर

2— गजाधर

दोनों के पिता स्व. मनफेर निवासी ग्राम बसौली तह. मनगवां जिला रीवा म.प्र.

अधि० श्री आर.पी. पाण्डेय द्वारा पेश 14-9-18

..............गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म.प्र. के प्र. क. 2031/2017–18 आदेश दिनांक 05.09.2018

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं–

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त रीवा संभाग रींवा के आदेश दिनांक 05.09.2018 विधि व संहिता के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2— यह कि गैरनिगरानीकर्ता क्र. 1 व 2 मिल कर उक्त निगरानी प्रकरण के विवादित भूमियों के स्वत्व घोषणा, चिरस्थाई निषेधाज्ञा व पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 24.04.96 को गैरनिगरानीकर्तागण के हक में शून्य व प्रभावहीन कराने का दावा न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग – 2 सिरमौर जिला रीवा में दावा दायर किया था जिसका व्यवहार वाद क्र. 370A/2011 है। उक्त निगरानी

(31)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक निंग0–5650/2018/रीवा/भू–रा0 जिला– रीवा

बुद्धसेन/ सुमेश्वर

(1)	(2)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री आर0पी0 पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 2031/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 14.09.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य